भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2925

मंगलवार, 18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक विकास

2925. श्री जगन्नाथ सरकारः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले प्रमुख उद्योगों सहित राज्य में औद्योगिक विकास और विनिर्माण गतिविधियों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा राज्य में नए निवेश को आकर्षित करने और मौजूदा उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) औद्योगिक पार्कों, संभारतंत्रों और विद्युत आपूर्ति जैसी औद्योगिक अवसंरचना में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पश्चिम बंगाल के विनिर्माण क्षेत्र में नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): पश्चिम बंगाल में विभिन्न क्षेत्रों की बड़ी कंपनियां स्थित हैं, जिनमें लोहा और इस्पात, चाय, चमड़ा, जूट, एफएमसीजी, धातु एवं खनिज, सीमेंट, वस्त्र और परिधान, लॉजिस्टिक्स, केमिकल्स, रबड़, रत्न व आभूषण, फार्मा, प्लास्टिक, आईटी और पेट्रो-उत्पाद शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार ने औद्योगिक और आर्थिक कॉरिडोर नीति, 2023 की शुरुआत की है ताकि इससे राज्यभर में व्यवस्थित रूप से औद्योगिक कॉरिडोर का विकास किया जा सके। इस नीति का उद्देश्य, चिह्नित कॉरिडोरों के आस-पास की गुणवत्तापूर्ण औद्योगिक अवसंरचना और अनुकूल कारोबारी वातावरण से लाभान्वित होते हुए राज्य की व्यापक आर्थिक और रोजगार

क्षमता का भरपूर लाभ उठाना है, ताकि इससे औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और आर्थिक कार्यकलाप तथा रोजगार सृजित हो सके।

राज्य की बिजली संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, सरकार ने क्षमता निर्माण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें उत्पादन परियोजनाओं की सक्रिय मॉनीटरिंग तथा राष्ट्रीय ग्रिड को 75,050 मेगावाट (वर्ष 2016-17) से बढ़ाकर 1,18,740 मेगावाट (दिसंबर 2024) करना शामिल है।

बिजली की वास्तविक आपूर्ति के संदर्भ में, पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य की स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	ऊर्जा की आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा
	(एमयू)	एमयू	एमयू
2021-22	54,001	53,945	57
2022-23	60,348	60,274	74
2023-24	67,576	67,490	86
2024-25 (फरवरी, 2025 तक)	65,075	64,985	91

भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की घोषणा की गई। इस स्कीम के तहत कुल 1305 विनिर्माण इकाइयां हैं, जिनमें से 10 इकाइयां पश्चिम बंगाल में स्थित हैं।

सरकार एकीकृत वस्त्र पार्क स्कीम (एसआईटीपी) का कार्यान्वयन कर रही है, ताकि इससे उद्योग को अपनी वस्त्र इकाइयां स्थापित करने के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इस स्कीम के तहत, पश्चिम बंगाल में 02 पार्कों का कार्य पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।

भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), जो देशभर में क्लस्टर, पार्क, नोड्स, ज़ोन आदि सहित औद्योगिक क्षेत्रों का जीआईएस आधारित डाटाबेस

प्रदान करता है, के अनुसार पश्चिम बंगाल के 15 औद्योगिक पार्कों का आईआईएलबी पोर्टल पर मानचित्रण किया गया है।

देश में नियामक वातावरण को और अधिक व्यवसाय-अनुकूल बनाते हुए, राज्य स्तर पर कारोबारी माहौल में सुधार लाने, निवेश आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के विजन को ध्यान में रखते हुए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), राज्य सरकारों के सहयोग से वर्ष 2014 से व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें सरलीकरण, डिजिटाइजेशन, निरर्थक प्रक्रियाओं को हटाने, सिंगल विंडो प्रणाली, निरीक्षण सुधार आदि जैसे सुधारों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

*****